

अधिसूचना

**प्रारम्भिक अधिसूचना**

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम पहाडी, तहसील व उपखण्ड मुरैना, जिला-मुरैना में कुल रकवा 2.686 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला-मुरैना तहसील-मुरैना के ग्राम-पहाडी प.ह.नं. 87, रा.नि. वृत्-08 में उक्त परियोजना के लिये 2.686 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया प्रस्तावित किया जाता है:-

**सूची**

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2023 2024	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.041	राजाराम बा. विजयसिंह ना0वा0 पि0 कदमसिंह सर0माँ हि0 1/3 पंजाब उर्फ शिवराम पूरनसिंह रामहेत पि0 पीतम लच्छो पुत्री पीतम स0भा0 1/3 रामखत्यार कोकसिंह पि0 भीकम हि0 1/3 कोम गू0ठा0सा0 देह भूमिस्वामी
2	2026/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.197	सुंदरसिंह पुत्र राम सिंह जाति गू0ठा0सा0 देह भूमिस्वामी
3	2026/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		मोहकम सिंह पुत्र स्व0 श्री रमेशसिंह जाति गुर्जर नि0 मेला दुल्लपुर ग्वालियर भूमिस्वामी
4	2027	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.278	जीवाराम पुत्र मूलाराम, नेनी वेबा मूलाराम स0भा0 1/2 मु0 अनेगा वेवा देवीसिंह कलावती वेवा सोनेराम स0भा0 2/6 जसवंत,भूरा,कृष्णा पि0 मूंगाराम भूरी रामा मीरा पि. मूंगाराम बतसिया वेबा मूंगाराम स0भा0 1/6 कोम गू0ठा0सा0देह भूमिस्वामी
5	2183/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.158	जसवंत सिंह पुत्र मूंगाराम जाति ठा0 सा0 देह भूमिस्वामी
6	2183/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		जसवन्त,भूरा,कृष्णा पुत्रगण मूंगाराम स0भा0जाति गू0ठा0सा0देह भूमिस्वामी

7	2115/1 मि.1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		राजाराम पुत्र कदम सिंह जाति गूठासादेह भूमिस्वामी
8	2115/1 मि.2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.167	धर्मेन्द्र सिंह पुत्र सियाराम जाति कोरी निोग्राम भूमिस्वामी
9	2115/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		जसवंत सियाराम पि. माधौसिंह फूलो पुत्री माधौसिंह स.भा. 1/2 सिद्दार, चौवे, रामखिलाड़ी आ० पन्नू स०भा० 1/2 जाति गुर्जर सा०देह भूमिस्वामी
9	2100/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.004	रामवरन पुत्र नवलसिंह कोम गुर्जर
10	2101	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.250	रामवरन पुत्र नवलसिंह कोम गुर्जर
11	2176	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.096	राजाराम बा० विजयसिंह नाबा० पुत्रगण कदमसिंह स०भाग 1/2 स.भा. रमेश, लक्ष्मण, सुरेश, रामखिलाड़ी सुरेश पुत्रगण जण्डेल सरोज, गीता, मधु पुत्रियाँ जण्डेल भूरी वेवा जण्डेल स०भाग 1/6 केदार, रघुनाथ, छोटे, रामजीवन, बिहारी स०भा० 4/6 ओमकार पि० आदिराम मंजू कोमेश, रचना पुत्रियाँ आदिराम अलंता वेवा आदिराम स०भा० 1/6 दर भाग 1/2 जाति गुर्जर सा०देह भूमिस्वामी
12	2177	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.071	राजाराम बा. विजयसिंह नाबा० पुत्रगण कदमसिंह हि० 1/3 भीखम पुत्र अंगद हि० 1/3 रमेश, लक्ष्मण, रामखिलाड़ी, सुरेश पुत्रगण जण्डेल सिंह सरोज गीता मधु पुत्री जण्डेल भूरी वेवा जण्डेल स.भा./6 केदार रघुनाथ छोटे रामजीवन पुत्रगण हीरा 4/6 स.भा. ओमकार पुत्र आदिराम मंजू कोमेश रचना पुत्री आदिराम अलंता वेवा आदिराम जाति गूठा. हि. 1/6 दर भाग 1/3 भूमि स्वामी
13	2184	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.084	पातीराम पुत्र शंकरसिंह 5/6 फूलो पुत्री शंकर 1/6 सिंह कोम गुर्जर नि० ग्राम भूमिस्वामी-
14	2181	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.089	जीवाराम पुत्र मूलाराम, नेनी वेवा मूलाराम स०भा० 1/2 मु० अनेगा वेवा देवीसिंह कलावती वेवा सोनेराम स०भा० 2/6 जसवंत, भूरा, कृष्णा पि० मूंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्रियाँ मूंगाराम मु. बतसिया वेवा मूंगाराम स०भा० 1/6 कोमा गूठासादेह भूमिस्वामी
15	2168	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	राजाराम बा० विजयसिंह नाबा० पुत्रगण कदमसिंह स०भाग 1/2 स.भा. रमेश, लक्ष्मण, सुरेश, रामखिलाड़ी सुरेश पुत्रगण जण्डेल सरोज, गीता, मधु पुत्रियाँ जण्डेल भूरी वेवा जण्डेल स०भाग 1/6 केदार, रघुनाथ, छोटे, रामजीवन, पुत्रगण हीरा स०भा० 4/6 ओमकार पि० आदिराम मंजू कोमेश, रचना पुत्रियाँ आदिराम

					अलंता वेबा आदिराम स०भा० 1/6 दर भाग 1/2 जाति गुर्जर सा०देह भूमिस्वामी
16	2116/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.219	भारत पिता सरनाम रकवा 0.33/1.862 राकेश अल्ली पिता सरनाम रामा पुत्री सरनाम जावित्री वेबा सरनाम स.भा. रकवा 1.489/1.862 सन्तो पत्नि राजाराम कमला पत्नि विजय सिंह स.भा. रकवा 0.340/1.862 जाति गू.ठा. नि.ग्राम भूमिस्वामी
17	2116/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		प्रकाश, महेन्द्र पुत्रगण हजारी गुड्डी पुत्री हजारी स०भा० कोम गू०ठा० भूमिस्वामी
18	2116/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		वकील पुत्र हजारीसिंह सावो वेबा हजारी सिया पुत्री हजारी स०भा० रकवा 1.524/1.694 सन्तो देवी पत्नि राजाराम कमला पत्नि विजय सिंह स०भा० 0.170/1.694 कोम गू०ठा० भूमिस्वामी
19	2180	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.109	राजाराम बा. विजयसिंह नाबा०पुत्रगण कदमसिंह हि० 1/3 भीखम पुत्र अंगद हि० 1/3 रमेश, लक्ष्मण, रामखिलाड़ी, सुरेश पुत्रगण जण्डेल सिंह सरोज गीता मधू पुत्री जण्डेल भूरी वेबा जण्डेल स.भा. 1/6 केदार रघुनाथ छोटे रामजीवन पुत्रगण हीरा 4/6 स.भा. ओमकार पुत्र आदिराम मंजू कोमेश रचना पुत्री आदिराम अलंता वेबा आदिराम जाति गू.ठा. हि. 1/6 दर भाग 1/3 भूमि स्वामी
20	2102	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.863	सोनू उर्फ उर्मिला वेबा श्रीनिवास दीपेन्द्र, जितेन्द्र नाबा० आ० श्रीनिवास ज्योति नाबा० पुत्री श्रीनिवास सर० माँ खुद नि०ग्राम भूमिस्वामी

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

**विषय :-** धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

स्थान: मुरैना  
तारीख: 27/7/2017

(भास्कर लाक्षाकार)  
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव (म0प्र0)  
शासन, राजस्व विभाग जिला मुरैना (म0प्र0)

27/37-82

पृष्ठा क्र. 5281/7/17 भू-अर्जन/रेलवे- पहाडी /2017/5281/मुरैना दिनांक 27/7/2017  
प्रतिलिपि:-

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म0प्र0 भोपाल की ओर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु।
2. आयुक्त जनसम्पर्क संचलनालय, भोपाल की ओर 2 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
3. कलेक्टर जिला मुरैना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
4. अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग बानमौर के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
5. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. तहसीलदार परगना बानमौर की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत के सूचना पटलों एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरान्त तामीली प्रति भेजने हेतु।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरैना की ओर कलेक्टर, जिला मुरैना ( समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिग बेवसाई पर अम्प्लोड हेतु।

(भास्कर लाक्षाकार)  
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव (म0प्र0)  
शासन, राजस्व विभाग जिला मुरैना (म0प्र0)